न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/30 **दायरा दिनांक : 15.04.2024**

उनवान

प्रहलाद शर्मा आत्मज श्री श्याम शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दडा, तहसील अटरू, जिला बारां हाल एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एल.लि. 220, जी.एस.एस. कवाई सालपुरा, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. अजनी शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
2. भुवनेश शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
3. सौरभ शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
   जाति ब्राहमण, निवासीगण एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एल.लि. 220, जी.एस.एस. कवाई सालपुरा, जिला बारां राज0 हाल निवासी रिंकू शर्मा का मकान नान्ता केशर के पास, कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा .... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/31 **दायरा दिनांक : 15.04.2024**

उनवान

प्रहलाद शर्मा आत्मज श्री श्याम शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दडा, तहसील अटरू, जिला बारां हाल एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एल.लि. 220, जी.एस.एस. कवाई सालपुरा, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1. अजनी शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
2. भुवनेश शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
3. सौरभ शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
   जाति ब्राहमण, निवासीगण एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एल.लि. 220, जी.एस.एस. कवाई सालपुरा, जिला बारां राज0 हाल निवासी रिंकू शर्मा का मकान नान्ता केशर के पास, कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा ..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री रामेश्वर गोयल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.05.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 142/2015 निर्णय व प्राथमिक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री दिनांक 07.04.2022 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कियाँ और यह कथन किया कि ग्राम दडा पटवार हल्का दडा, तहसील अटरू, जिला बारां में वादीगण के दादाजी/प्रतिवादी क्रम 1 श्याम के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी वर्तमान खाता संख्या 154 पुराना 139 की खसरा नम्बर 75 रकबा 2.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 380 रकबा 0.05 हेक्टर, कुल 3 किता रकबा 2.58 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.04.2022 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.11.2022 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2024/30 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण, रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 तत्कालीन नाबालिगान द्वारा जरिये वली माता सावित्री बाई द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती विभाजन आराजी व स्वामी निषेधाज्ञा गैर कानूनी रूप से स्वीकार फरमाकर ग्राम दड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 154 की खसरा नम्बर 75 की रकबा 2.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 76 की रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 380 की रकबा 0.05 हेक्टर कुल 3 किता की रकबा 2.58 हेक्टर आराजी में वादीगण को 1/8–1/8 हिस्सा भाग का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का तथा तहसीलदार अटरू को राजस्व रेकार्ड में अमल करने व उक्त आराजी में वादीगण के हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने की प्राथमिक डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रमाण के उक्त आराजी को पैतृक होना मानने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों का समुचित रूप से विवेचन किये बिना ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से दावा वादीगण डिक्री फरमाने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वाद वर्णित आराजी श्यामलाल जी के खाते की भूमि है। वक्त दायरी दावा श्यामलाल जी जीवित थे। अपीलांट प्रहलाद शर्मा के नाम तत्समय उक्त भूमि नहीं आयी थी इस कारण वादीगण को उक्त भूमि में हिस्सा मांगने व कुछ आराजी का विभाजन करवाकर उक्त भूमि पृथक खाते दर्ज करवाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 व 8 खातेदार की मृत्यु के उपरांत ही प्रभावी होती है ऐसे में श्यामलाल जी के जीवनकाल में प्रहलाद शर्मा अपीलांट को ही कोई सरवाईविंग इन्ट्रेस्ट उक्त आराजी में प्राप्त नहीं थे इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद कानूनन पोषणीय नहीं था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ कानून जाकर दावा वादीगण डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि वादीगण वाद वर्णित आराजी के खातेदार नहीं है इस कारण उन्हें वाद वर्णित आराजी को विभाजन करवाकर पृथक खाते दर्ज करवाने का अधिकार नहीं था तथा उनके द्वारा प्रस्तुत वाद कानूनन पोषणीय नहीं था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण डिक्री

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वर्णित आराजी में अपीलांट प्रहलाद शर्मा का हिस्सा विनिश्चित किये बिना ही तथा उसे वाद वर्णित आराजी में हिस्सा प्रदान किये बिना ही सीधे वादीगण को तथाकथित हिस्से का खातेदार घोषित कर उनके खाते दर्ज किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उक्त अपील में प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल जी का दिनांक 26.04.2022 को स्वर्गवास हो गया है। अपीलांट उनका पुत्र होने से उनके स्वर्गवास के उपरांत स्वयं यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करे निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 07.04.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 2024/31 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जरिये वली माता सावित्री बाई द्वारा प्रस्तुत वाद अवैध एवं गैर कानूनी रूप से डिक्री फरमाकर ग्राम दड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां की वाद वर्णित कुल 3 किता की 2.58 हेक्टर भूमि में से खसरा नम्बर 75 पश्चिम की रकबा 0.96 हेक्टर भूमि वादीगण के पृथक खाते दर्ज किये जाने बाबत विभाजन की अन्तिम डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं फरमाया कि वादीगण वाद वर्णित आराजी के खातेदार नहीं थी इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन का वाद कानूनन पोषणीय नहीं था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद डिक्री फरमाकर उपरोक्तानुसार पृथक खाता कायम करने बाबत निर्णय व डिक्री सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल जी का दिनांक 24.06.2022 को दौराने विचारण स्वर्गवास हो गया था। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उनके कायम मुकामी संबंधी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई। तहसीलदार अटरू द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव के समय श्यामलाल जी जो कि अभिलिखित खातेदार थे उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही उनकी मृत्यु होने संबंधी कोई नोट विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट में अंकित किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार अटरू द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट एकपक्षीय रूप से मौके पर गये बिना ही तथा अभिलिखित खातेदार को सूचित किये बिना ही अवैध रूप से बनायी गई थी जो कि राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत होने तथा मनमाने तौर पर एकपक्षीय व दोषपूर्ण होने से स्वीकार्य नहीं थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अवैध एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट जो श्यामलाल जी की मृत्यु उपरांत बनायी गई थी को आधार बनाकर दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक श्री श्यामलाल जी की मृत्यु दिनांक 24.06.2022 के कायम मुकामी को कार्यवाही हुये बिना ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से दिनांक 30.11.2022 को दावा वादीगण डिक्री किया है जो मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किये जाने से नलिटी (Nullity) होने से दोषपूर्ण होकर निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रूल्स 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट प्रतिवादी अपीलांट को सूचना दिये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय रूप से मौके व कब्जे की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

स्थिति के विपरीत मनमाने तौर पर मौके व कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई थी तथा उक्त रिपोर्ट मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तैयार नहीं की गई थी। कानूनन प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इस कारण उक्त रिपोर्ट जो कि अक्षम व्यक्ति द्वारा एकपक्षीय रूप से तैयार कर प्रस्तुत की गई थी वह अवैध एवं पक्षपातपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने महज उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी अपीलांट का पक्ष जाने बिना ही उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है। उक्त अपील में प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल जी का दिनांक 26.04.2022 को स्वर्गवास हो गया है। अपीलांट उनका पुत्र होने से उनके स्वर्गवास के उपरांत स्वयं यह अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुये जाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 30.11.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.02.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। दावे में अंजनी शर्मा 17 वर्ष, भूवनेश 16 वर्ष एवं सौरभ 13 वर्ष ने जर्ये माता सावित्री शर्मा ने जरिये वली वाद पेश किया था। जब प्राथमिक डिक्री जारी हुई तब सभी बालिक हो गये इसके बाद भी केवल सावित्री के ही बयान लिये। बालिक हो जाने के बाद माता की संरक्षक (गारजियनशिप) समाप्त हो गई थी अतः बालिक की तरफ से कार्यवाही नहीं करने से सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो गई। वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलांट नहीं थे। वादी रेस्पोडेंट कहते हैं कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है। पैतृक आराजी में दादा व पिता के जीवन काल में दावा लाने का अधिकार नहीं है। वादी वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार नहीं थे ऐसी स्थिति में बंटवारा क्लेम करने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार श्याम शर्मा जीवित है उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी ही वारिस होगे। वादी रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश करने के अधिकारी नहीं थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। इसी कारण अपील की कोई लिमिट नहीं है। गैर विधि सम्मत निर्णय को किसी भी स्तर पर किसी भी समय अपील की जा सकती है। श्याम शर्मा की मृत्यु दौराने दावा दिनांक 24.06.2022 को हुई है। इस पर वादीगण ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और मृतक के विरूद्ध वाद चलता रहा और मृतक के विरूद्ध ही डिक्री पारित की गई। अतः प्राथमिक निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फाइनल डिक्री में वादी को हिस्सा दिया है। प्रतिवादी नम्बर 2 को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। मृतक श्याम शर्मा को हिस्सा दे दिया गया। अपीलांट श्याम शर्मा का पुत्र है उसको हिस्सा नहीं दिया गया। फाइनल डिक्री मृतक के विरूद्ध होने से अबेट है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। नोटिस जारी नहीं किया है। तहसीलदार मौके पर नहीं गया है। पटवारी ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री निरस्त की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2024(2) पेज 1202, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 1044, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 964 आर.आर.टी. 2024(2) पेज 792, आर.आर.टी. 2017(2) पेज 944, डी.एन.जे. एस.सी. 2016 पेज 258, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 353, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 548, आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1047 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। जवाब दावे में भिन्न बहस की है। जवाबदावे में सिविल कोर्ट में भरण पोषण निर्धारित किया है के संबंध में दावे का उल्लेख किया है। जवाबदावे से बाहर बहस नहीं कर सकते। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक उपस्थित हुए थे इसके बाद 1 वर्ष 11 माह 12 दिन बाद अपील पेश की है जो कि गम्भीर मियाद बाहर है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत दोनों अपीले समान प्रकृति की होने एवं समान पक्षकारों के मध्य विचाराधीन होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम दडा की जमाबंदी सम्वत 2071–2074 प्रदर्श पी 1 में दर्ज खसरा नं. 75 रकबा 2.45 हेक्टर, खसरा नं. 76 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 380 रकबा 0.05 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.58 हेक्टर वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। इस तथ्य के खण्डन हेतु अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वादीगण प्रतिवादी कम 2 अपीलांट प्रहलाद शर्मा के पुत्र – पुत्री है। इसी आधार पर वादीगण, प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की पैतृक सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जन्म से ही हक व अधिकार निहित होने से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 श्याम शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.04.2022 दौराने दावा हुई,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

परन्तु वादीगण ने कायम मुकामान की कार्यवाही हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया और मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही चलती रही एवं मृतक व्यक्ति के विरूद्ध ही निर्णय व डिक्री पारित की गई, जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जो प्रतिवादी कम 1 की मृत्यु दिनांक 26.04.2022 से पूर्व की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिसमें अपील के इस स्तर पर हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा तैयार कर तहसीलदार अटरू को प्रेषित किया गया एवं तहसीलदार अटरू द्वारा पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव को अपने पत्र दिनांक 19.10.2022 के साथ सलंग्न कर उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। विभाजन के दावे में बंटवारा प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर तैयार करना विधिक रूप से आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करते समय नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई। अतः हम विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित निर्णय व अंतिम डिक्री को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध पेश अपील संख्या 2024/30 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.04.2022 यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/31 विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2022 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2022 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अंतिम डिक्री के निस्तारण हेतु इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार अटरू से पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

प्रहलाद शर्मा आत्मज श्री श्याम शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दडा, तहसील अटरू, जिला बारां हाल एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर.वी.पी.एल.लि. 220, जी.एस.एस. कवाई सालपुरा, जिला बारां राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1. अजनी शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
2. भुवनेश शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा
3. सौरभ शर्मा आत्मज प्रहलाद शर्मा

जाति ब्राहमण, निवासीगण एक्सक्टीव इंजीनियरिंग आर. वी.पी.एल.लि. 220, जी.एस.एस. कवाई सालपुरा, जिला बारां राज0 हाल निवासी रिंकू शर्मा का मकान नान्ता केशर के पास, कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

4. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024 / 30**
मु.द.नं0 **142 / 2015**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **07.04.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07 माह 05** सन् **2025**

श्री **रामेश्वर गोयल** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बृजराज सिंह चौहान** अभिभाषक अपीलांट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.04.2022 के विरूद्ध पेश अपील संख्या 2024 / 30 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.04.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **19 माह 05 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)